रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2821] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937
No. 2821] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3542(अ).—केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से खपत की गई ऊर्जा की तीव्रता या मात्रा और ऊर्जा दक्ष उपकरण में प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक निवेश की राशि तथा इसमें निवेश के लिए उद्योग की क्षमता और ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष मशीनरी एवं उद्योग द्वारा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता के विषय में, इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की खण्ड 14 के खण्ड (ड.) के अधीन अधिसूचित (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट नौ ऊर्जा सघन उद्योगों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को तारीख 19 मार्च, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित तारीख 12 मार्च, 2007 के का.आ. 394(अ) में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा अभिहित उपभोक्ता कहा गया है;

और केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों की सूची तथा उक्त आदेश की टिप्पण 2 में किए गए कथन में मीट्रिक तेल समकक्ष के संदर्भ में ऊर्जा खपत की सीमा का पुनर्विलोकन किया है, और यह समाधान है कि कुछ अन्य प्रयोक्ताओं या ऊर्जा के प्रयोक्ताओं के वर्ग को अभिहित उपभोक्ता के रूप में निर्दिष्ट किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने इसे आवश्यक पाया है कि केवल उन ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को समय समय पर अभिहित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया जाए, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक उद्योग या स्थापन के प्रति उपदर्शित की गई है :

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की खण्ड 14 के खण्ड (ड.) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से उक्त आदेशों में निम्नलिखित ऊर्जा सघन उद्योगों और अन्य स्थापन को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :

उक्त आदेश में, -

(i) उप पैरा 7 में रेल से संबंधित – (क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) सभी आंचलिक रेल, जिनकी ट्रैक्शन वार्षिक ऊर्जा खपत 70,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) प्रति वर्ष और इससे अधिक है, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है :-

क्र. सं.	आंचलिक रेल
1	मध्य रेल अंचल
2	पूर्व केंद्रीय
3	पूर्वी तट
4	पूर्वी
5	उत्तर मध्य
6	उत्तर-पूर्वी
7	पूर्वोत्तर सीमांत
8	उत्तरी
9	उत्तर पश्चिमी
10	दक्षिण मध्य
11	दक्षिण पूर्व
12	दक्षिण पूर्वी
13	दक्षिण
14	दक्षिण पश्चिमी
15	पश्चिम मध्य
16	"पश्चिमी;

IndiaCode

(ख) खण्ड (ख) को लोप किया जाएगा;

(ii) उप पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10. पेट्रोलियम परिष्करणी: उक्त उद्योग की इकाइयों में प्रतिवर्ष 90,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) या इससे अधिक की ऊर्जा खपत है।

11. विद्युत वितरण कंपनियां - उक्त उद्योग की इकाइयों में प्रतिवर्ष 86,000 मीट्रिक टन तेल समकक्ष (एमटीओई) या इससे अधिक की ऊर्जा खपत है";

(iii) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 4: उप पैरा 11 में दिए गए आदेश विनिर्दिष्ट विद्युत वितरण कंपनियों की ऊर्जा खपत नियत करने के प्रयोजन के लिए उक्त इकाइयों को टिप्पण 1 के अधीन संपरिवर्तन सारणी का उपयोग करते हुए सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटी एंड सी) के रूप में लिया जाएगा।"

[एफ. सं.10/13/2002-ईएम]

सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3542(E).—Whereas the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, having regard to the intensity or quantity of energy consumed and the amount of investment required for switching over to the energy efficient equipment and capacity of industry to invest in it and availability of the energy, energy efficient machinery and equipment required by the industry, notified under clause (e) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) [hereinafter referred to as the said Act], nine energy intensive industries and other establishments specified in the Schedule to the said Act, as designated consumers by notification of the Government of India in the Ministry of Power Number S.O. 394(E) dated the 12th March, 2007 [hereinafter referred to as the said Order] published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th March, 2007;

And whereas, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, has reviewed the list of energy intensive industries and other establishment specified in the Schedule to the said Act, and the limit of energy consumption in terms of metric tonne of oil equivalent stated in Note 2 in the said order, and is satisfied that some other user or class of users of energy may be specified as designated consumers;

And whereas, the Central Government considered it necessary to provide that only those energy intensive industries and other establishment having annual energy consumption as indicated against each industry or establishment by the Central Government from time to time shall be notified as, designated consumers:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause (e) of section 14 of the said Act, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby amends the said Order to specify the following energy intensive industries and other establishments, as Designated Consumers, namely:—

In the said order,—

(ii) In sub-paragraph 7 relating to Railways,- (A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) All zonal railways having traction annual energy consumption of 70,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above, as per Table given below:-

S.No.	Zonal Railway
1	Central Railway Zone
2	East Central
3	East Coast
4	Eastern
5	North Central
6	North Eastern
7	Northeast Frontier
8	Northern
9	North Western
10	South Central
11	South East
12	South Eastern
13	Southern
14	South Western
15	West Central
16	Western";

(B) clause (b) shall be omitted;

(ii) after sub paragraph (9), the following shall be inserted, namely:—

"10. Petroleum Refinery—Units of such industry having energy consumption of 90,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year or above.

11. Electricity Distribution Companies—Units of such industry having energy consumption of 86,000 metric tonne of oil equivalent (MTOE) per year and above";

(iii) after Note 3, the following note shall be inserted, namely:-

"Note: 4 For the purpose of establishing energy consumption of Electricity Distribution Companies specified in the order at sub-paragraph 11, energy consumption of such units shall be considered as Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses by using conversion Table under Note 1."

[F. No. 10/13/2002- EM]

SATISH KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.